-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 27.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित अभियोग में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष 2022 में थाना नरैनी क्षेत्र में नाबालिक लडकी के साथ छेडखानी करने वाले दो अभियुक्तों मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व 03-03 हजार रुपये जुर्मानें की सजा ।**

विवरण–पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में **मिशन शक्ति अभियान** के तहत चिह्नित वर्ष-2022 में थाना नरैनी क्षेत्र अन्तर्गत नाबालिक लडकी के साथ छेडखानी करने वाले दो अभियुक्तों मा0 न्यायालय द्वारा 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व 03-03 हजार रुपये जुर्मानें की सजा से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि जनपद नरैनी क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम लहुरेटा के रहने वाले रामबाबू ने दिनांक 13.05.2025 को थाना नरैनी पर सूचना दी कि उनकी नाबालिक पुत्री को गांव का ही एक लडका परेशान करता है । इस सम्बन्ध में **थाना नरैनी में मु0अ0सं0 96/22 धारा 354/504भादवि 7/8 पॉक्सो एक्ट** पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना तत्कालीन **उ0नि0 श्री कौशल सिंह** द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 03.11.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था । **लोक अभियोजक श्री सुनील कुमार गुप्ता** द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही **कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी गौरव व जितेन्द्र तथा पैरोकार आरक्षी प्रवीण** के अथक प्रयासों से **दो आरोपियों** को **मा0 सत्र न्यायालय बांदा** द्वारा **04-04 वर्ष के कठोर कारावास व 03-03 हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित कराया गया ।

अभियुक्त-

1. **सद्दाम पुत्र अब्दुल उर्फ लम्बरदार नि0 लहुरेटा थाना नरैनी जनपद बांदा ।**
2. **ऐमुद्दीन उर्फ अयानुद्दीन पुत्र नैमुद्दीन उर्फ अजमुद्दीन नि0 लहुरेटा थाना नरैनी जनपद बांदा ।**